



रामपुर पुलिस



अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में 02 अभियुक्त को 03 वर्ष साधारण कारावास व 7,500-7,500 रू0 अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2020 को अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड करने व विरोध करने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा पाक्सो एक्ट न्यायालय, रामपुर ADJ-8 में वाद संख्या 45/20 धारा 323/34,354, 506 भादवि व 8 पाँक्सो एक्ट बनाम 1.अमित पुत्र रामपाल, 2. संजय पुत्र छन्नूलाल नि0गण इन्द्रा कालोनी फत्तावाला दढियाल मुस्तकेहम थाना टाण्डा, रामपुर दायर किया गया था।

पुलिस एवं अभियोजन के प्रयास के परिणाम स्वरूप दिनांक 27.03.2024 को मा0न्या0 विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, ADJ-8 रामपुर द्वारा अभियुक्त अमित, संजय उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष साधारण कारावास व 7,500-7,500 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

@रामपुरपुलिस



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा 04 अभि०गण को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5,500 रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.11.2015 को अभि०गण द्वारा वादी के भाई के साथ मारपीट करना,गाली गलौच करना,जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, लाठी डंडो व तबल से मारपीट कर लहलूहान कर देना के सम्बन्ध में थाना स्वार पर मु०अ०सं०- 570/15 धारा- 323/34,324/34,504 भादवि, 3(1)X Sc/St Act बनाम 1. मुस्तकीम पुत्र मुस्लिम 2.साजिद 3.अकरम पुत्रगण अब्दुल रव 4.मुस्लिम पुत्र अब्दुल रहीम(मृतक दौरान विचारण) नि०गण ग्राम चाऊपुरा,मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक-27.03.2024 को मा० न्यायालय विशेष न्या० एससी/एसटी एक्ट, रामपुर द्वारा अभि०गण उपरोक्त को **02 वर्ष का साधारण कारावास व 5,500 रू० अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण:-

अभि०गण उपरोक्त को **02 वर्ष का साधारण कारावास व 5,500 रू० अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

अभि०गण-1.मुस्तकीम पुत्र मुस्लिम 2.साजिद 3.अकरम पुत्रगण अब्दुल रव 4.मुस्लिम पुत्र अब्दुल रहीम(मृतक दौरान विचारण) नि०गण ग्राम चाऊपुरा,मसवासी,स्वार,रामपुर

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826